**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 9/2019 (राजसमन्द आर्डर)**

श्रीमती घीसी देवी पत्नी स्वर्गीय बालूसिंह जी रावत, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. टेकसिंह पिता भोजसिंह जी रावत, निवासी धोली मगरी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हेमसिंह पिता खेमसिंह जी रावत, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0
काश्तकारी अधि0–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 28.05.2018 प्र.सं. 82/17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 31–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालातों की गुंवार में आराजी नंबर 15033 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का 1/4, विपक्षी संख्या 1 का 1/2 व विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु विपक्षीगण भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 28–05–2018 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–05–2018 की अपील इस न्यायालय में 60 दिवस में अर्थात 27–07–2018 तक प्रस्तुत हो जानी थी, किन्तु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु राजस्व कैम्प की सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी एवं अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण  पर करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट विवादित भूमि की 1/4 हिस्से की खातेदार है। यदि रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं उनके द्वारा भूमियों का हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो अपीलान्ट के मूलवाद का अभिप्राय ही समाप्त हो जायेगा।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–05–2018 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वे मूलवाद के निस्तारण में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.06 12:28:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: